



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02 मई, 2022 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02 मई, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:-

1. डा० आर० के० मित्तल, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा० सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई०सी०ए०आर० नई दिल्ली।	सदस्य
3. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
4. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
5. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
7. डा० अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ ^(अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
8. डा० आर०के० गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ ^(अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. डा० ब्रजवीर सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ ^(निदेशक पशुपालन, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
10. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा० प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक महोदया द्वारा मा० सदस्यों के स्वागतोपरांत डा० सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई०सी०ए०आर० नई दिल्ली को आई०सी०ए०आर० की ओर से विश्वविद्यालय की मा० प्रबन्ध परिषद में नामित होने पर मा० कुलपति जी द्वारा बुके भेंट किर्ण गये एवं समस्त सदस्यों द्वारा अभिनंदन व्यक्त किया गया।

-1-

प्रस्ताव संख्या 50.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा० प्रबन्ध परिषद की 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 50.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा० प्रबन्ध परिषद की 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर मा० सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही मा० सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किये गये:—

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा जनपद सहारनपुर के प्रगतिशील कृषक के रूप में श्री सेठपाल सिंह को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किये गये पदमश्री पुरस्कार के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद की 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 के कार्यवृत्त में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। इस पर मा० प्रबन्ध परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा उपर्युक्त को मा० प्रबन्ध परिषद की 50वीं बैठक दिनांक 02.05.2022 में सम्मिलित करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

इसी क्रम में मा० कुलपति एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा श्री सेठपाल सिंह को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किये गये पदमश्री पुरस्कार पर विश्वविद्यालय की मा० प्रबन्ध परिषद की ओर से श्री सेठपाल सिंह जी को बधाई प्रेषित की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)


02/05/22
LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

-2-


02.05.2022
Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या 50.3 :

माननीय जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के लिए अधिवक्ताओं का पैनल एवं देय धनराशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों के सर्वसम्मति से अनुमोदन के उपरांत माननीय जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के लिए अधिवक्ताओं का पैनल एवं देय धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी हैः—

1. मा० जनपद न्यायालय, गाजियाबाद		
अधिवक्ता का नाम	देय धनराशि (रु० में)	टिप्पणी
श्री राजेश कुमार यादव, ए-49, मरियम नगर, निकट-नागेश्वर मन्दिर, गाजियाबाद (उ०प्र०)	कांउसिल फीस रु० 8000/- प्रति वाद	अग्रिम धनराशि रु० 5000/- तथा शेष धनराशि रु० 3000/- वाद के निस्तारित होने पर
2. मा० जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर		
श्री हर्शल मिश्रा, 61, टॉवर-11, पॉम ओलमिया, सेक्टर-16सी०, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट), गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)	कांउसिल फीस रु० 8000/- प्रति वाद	अग्रिम धनराशि रु० 5000/- तथा शेष धनराशि रु० 3000/- वाद के निस्तारित होने पर

3. जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एवं जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर में विधिक व्यय के रूप में रु० 1600/- अनुमन्य किया जाता है।

LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

-3-

R.K.Mittal
02.05.2022
Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A & T., Meerut

4. विधिक परामर्श हेतु रु0 2000/- प्रति विधिक परामर्श के रूप में अनुमन्य किया जाता है।

(कार्यवाही: अध्यक्ष, विधिक समिति / कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 50.4— सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों को क्रमशः विज्ञापन संख्या I/2022 एवं II/2022 के द्वारा विज्ञापित किया गया था। उक्त विज्ञापनों में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2022 को विज्ञापित किये गये विज्ञापन संख्या I/2022 एवं II/2022 में आवेदन—पत्र ऑनलाईन मोड में तथा ऑनलाईन विधि से भरे गये आवेदन—पत्र की प्रति (Hard Copy) समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 50.5—

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न दैनिक कार्यों के सम्पादन में परामर्श हेतु एक पार्ट टाईम लीगल एक्सपर्ट को आगामी 03 माह हेतु रु0 25000/- प्रतिमाह मानदेय के आधार पर विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री रविन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त अपर निदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 शासन, 56, गोल्डन एवेन्यू, मेरठ, उ0प्र0 को विश्वविद्यालय के विभिन्न दैनिक विधिक कार्यों के सम्पादन में

परामर्श हेतु उनकी सेवायें रु0 25000/- प्रतिमाह मानदेय के आधार पर आगामी 03 माह तक बढ़ाये जाने के लिए मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा इंगित किया गया कि उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सी0वी0सी0, भारत सरकार से एन0ओ0सी0 प्राप्त करना उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस प्रकरण पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।


(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/ कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 50.6—

विश्वविद्यालय चिकित्सालय में रु0 40000/- प्रतिमाह के आधार पर पुरुष अंशकालिक चिकित्सक की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के छात्र/छात्राओं तथा शिक्षकों/कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय चिकित्सालय में रु0 40000/- प्रतिमाह के आधार पर पुरुष अंशकालिक चिकित्सक (डा0 देशराज सिंह) को 11 माह के लिए निरन्तर बढ़ाये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)


02/05/22
LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

-5-


R.K. Mittal
Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या: 50.7—

डा० आरती भटेले, प्राध्यापक, वेटरनरी पैथोलॉजी विभाग के निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव।

डा० आरती भटेले, प्राध्यापक, वेटरनरी पैथोलॉजी विभाग को कार्मिक अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या सवप/2022/का०अनु०/10317 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से किये गये निलम्बन पर मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 50.8—

डा० योगेश प्रसाद, प्राध्यापक (निलम्बित) उद्यान के मूल पद ट्रेनिंग एसोसिएट पर प्रत्यावर्तन करने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 अध्याय XXI सेक्शन 20 (r) 3 (c) (e) (1) के अन्तर्गत बर्खास्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों के सम्यक विचारोपरांत डा० योगेश प्रसाद, प्राध्यापक (निलम्बित) उद्यान के मूल पद ट्रेनिंग एसोसिएट पर प्रत्यावर्तन करने तथा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 अध्याय XXI सेक्शन 20 (r) 3 (c) (e) (1) के अन्तर्गत बर्खास्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।


(कार्यवाही: कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 50.9—

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की पूर्व में की गयी सेवायें जोड़ने के संबंध में प्रस्ताव।

मा० कुलपति जी द्वारा डा० निरन्जन सिंह राना, प्राध्यापक एवं प्रो० समशेर की पूर्व की सेवाओं से सम्बन्धित

-6-


02/05/22
LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110


Dr. B.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रकरणों को विस्तृत रूप में मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में डा० सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई०सी०ए०आर० नई दिल्ली द्वारा अपना मत व्यक्त किया गया कि उचित माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सेवा जोड़ने की कार्यवाही किया जाना ही उचित होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डा० निरन्जन सिंह राना, प्राध्यापक की पूर्व में की गयी सेवायें केवल पेंशन हेतु जोड़ी जा सकती है। जबकि प्रो० समशेर, प्राध्यापक की पूर्ववर्ती सेवायें केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होने के कारणवश प्रस्ताव उ०प्र० शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

प्रस्ताव संख्या: 50.10—

श्री कालीचरण शर्मा, लेखाकार को सेवानिवृत्ति उपरांत दिनांक 01.05.2022 से कुल 03 माह हेतु मानदेय के आधार पर विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

श्री कालीचरण शर्मा, लेखाकार को मानदेय के आधार पर दिनांक 01.05.2022 से कुल 03 माह के लिए रु० 25000/- प्रति माह (पेंशन के अतिरिक्त) के अन्तर्गत विस्तार हेतु मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)


02/05/22
LAXMI MISHRA
Comptroller
S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

-7-


02.05.2022
Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या: 50.11—

डा० त्रिवेणी प्रसाद सिंह, निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र को अनुबन्ध पत्र में दी गयी व्यवस्था में दी गयी शर्त से छूट/मुक्त प्रदान करने के संबंध में।

डा० त्रिवेणी प्रसाद सिंह, निदेशक, कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिये गये त्यागपत्र के दृष्टिगत प्ररतुत प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुबन्ध पत्र में दी गयी व्यवस्थानुसार शर्त से छूट/मुक्त प्रदान करने के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/ कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 50.12—

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र कुमार त्यागी के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के संदर्भ में।

श्री वीरेन्द्र कुमार त्यागी, अधिवक्ता को जनपद मेरठ से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वादों की पैरवी हेतु ₹ 9900/- में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए ₹ 10890/- प्रतिमाह के आधार पर दिये जाने हेतु मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: अध्यक्ष विधिक समिति)

अन्त में सचिव मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

✓
02/05/22

(लक्ष्मी मिश्रा)

वित्त नियंत्रक/सचिव, मा० प्रबन्ध परिषद

LAXMI MISHRA

Comptroller

S.V.P. University of Agri & Tech.
MEERUT-250110

अनुमोदित

R
2.05.22

(डा० आर०के० मित्तल)

कुलपति/अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद

Dr. R.K. Mittal

Vice-Chancellor 8-

S.V.P.U.A.&T., Meerut